

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ९६६ की
जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ के खाता संख्या २७५; २७६; २७७, २७८, ६३५
में पिता का नाम मोतीलाल पारीक डी. डी. मिस्त्र
मदनलाल पारीक डी. डी. मिस्त्र
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश/फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम ९६६ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ के
खाता संख्या २७५; २७६; २७७, २७८, ६३५ में प्रार्थी का नाम मोतीलाल पारीक दर्ज है। जबकि मुताबिक
संलग्न २७५; २७६; २७७, २७८, ६३५ व जानकारी के अनुसार खातदार का सही नाम मदनलाल पारीक है। जो
संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू०अ०नि०.....

पटवारी.....
शाहपुरा (मौलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन कि या है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी ९६६ व भू०अ०नि० ९६६ एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम ९६६ की जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ की खाता संख्या..... में प्रार्थी का पिता का नाम
नाम मोतीलाल पारीक के बजाय मदनलाल पारीक किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (मौलवाड़ा)
शाहपुरा (मौलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम ९६६ जमाबन्दी सम्वत् २०७६-७९ खाता
संख्या..... में दर्ज प्रार्थी का नाम मोतीलाल पारीक के स्थान पर मदनलाल पारीक संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (मौलवाड़ा)